

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 206

प्रकरण क्रमांक- M-COM-2023-02072

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "सफायर इम्पेरिया फेस-4 'ब्लॉक-ई' प्रमोटर-ओम कन्स्ट्रक्शन, द्वारा
श्री ओ. पी. गुप्ता, पता-45, जोन-2, एम.पी.नगर, भोपाल (म.प्र.)

प्रोजेक्ट - "सफायर इम्पेरिया फेस-4 'ब्लॉक-ई' आमासिवनी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
05/01/2024	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री सम्यक जैन उपस्थित।</p> <p>उनके द्वारा प्रोजेक्ट से संबंधित रेरा विनिर्दिष्ट खाता का यूनियन बैंक का स्टेटमेंट पेश किया गया। रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पालन करते हुये खाता का संचालन किय जा रहा है, अवगत कराया गया है।</p> <p>प्रकरण में अनावेदक पक्ष को इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं किया जावे चेतावनी दी जाती है। अधिनियम एवं प्राधिकरण के निर्देशों का भलीभांति पालन करें। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ट दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>